मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
वल्लभ भवन भोपाल, 462004

क्रमांक एफ 30-02/2015/10-3 भोपाल, दिनाँक 06 अगस्त, 2015

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(उत्पादन)
म.प्र. भोपाल।

विषय — मध्यप्रदेश में जप्तशुदा लाल चंदन को आंध प्रदेश, वन विभाग को वापस करने के संबंध में।

संदर्भ :- आपकी यू0 ओ0 टीप क्रमांक 142, दिनांक 06.06.2015 एवं 160, दिनांक 01.07.2015

-----000-----

विषयांकित संदर्भित टीप एवं प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें, राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश में वर्तमान में जप्तशुदा लाल चंदन, आंध प्रदेश, वन विभाग को निम्नलिखित शर्तों के अधीन उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है :-

(1) भोपाल तथा नीमच वन मंडल में उपलब्ध जप्त लाल चंदन जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में परिदान दिया जाये।

(2) यदि इस जप्त लाल चंदन के संबंध में स्थानीय न्यायालय में कोई प्रकरण पंजीबद्ध है तो आपकी संदर्भित टीप में उल्लेखित परिस्थितियों का हवाला देकर रक्त चंदन के निर्वर्तन करने के निर्देश न्यायालय से प्राप्त किये जाएं।

(3) उपरोक्त मात्रा के परिवहन तथा उससे जुडे समस्त व्यय वन विभाग आंध प्रदेश द्वारा वहन किया जायेगा।

(4) उपरोक्त लाल चंदन के निर्वर्तन पश्चात प्राप्त राजस्व स्थानीय न्यायालय के निर्देशों के तहत रहेंगी।

भविष्य में जो भी लाल चंदन मध्य प्रदेश में जप्त होगा, उसे भी आंध प्रदेश, वन विभाग को उपरोक्तानुसार शर्तों के तहत उपलब्ध करायां जावेंगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एन0पी0 अहिरवार)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

2

[illegible] एफ 30-02/2015/10-3 भोपाल दिनांक अगस्त, 2015

प्रतिलिपि :-

1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (समन्वय), मध्यप्रदेश भोपाल।

2- निज सहायक, वनमंत्री की ओर उनकी टीप कमांक 809, दिनांक 13.07.2015 के संदर्भ मे सूचनार्थ प्रेषित।

[illegible] सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

प्रपत्र–1

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2014–15 (राजस्व क्षेत्र) के संबंध में

संबंधित कंडिकाऐं (समस्त वन मंडल)

कंडिका क्रमांक	विषय	संबंधित वन मंडल
7.4.1	Loss of Revenue due to low yield of timber	खंडवा उत्पादन, सिंगरौली सा., सीधी सा., मंडला उत्पादन, कटनी सा.
7.4.2	Loss of Revenue due to low yield of bamboo	खंडवा उत्पादन, कटनी सा.
7.6.1	Loss due to shortage in forest produce sent from coupes.	सीहोर सा., खंडवा उत्पादन, सीधी सा., कटनी सा.
8.6	Irregular transportation of forest produce.	मंडला उत्पादन, सिवनी उत्पादन, कटनी सा.
9.1	Deficiencies in collection and payment of VAT recovered from the sale of forest produce.	सीहोर सा., सिंगरौली सा., मंडला उत्पादन, बालाघाट उत्तर उत्पादन, हरदा उत्पादन,
9.7	Loss due to shortage of forest produce found in physical verification.	सीहोर सा., बुरहानपुर सा. खंडवा सा., सिंगरौली सा., दक्षिण छिंदवाड़ा सा., कटनी सा.
9.8	Non-reconciliation of remittances.	सीहोर सा., ग्वालियर सा., देवास सा., सीधी सा., डिंडोरी उत्पादन, बुरहानपुर सा., सिंगरौली सा., कटनी सा., खंडवा उत्पादन, दक्षिण छिंदवाड़ा सा.,